रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, हाथरस

उपविधि

24 अक्टूबर, 2024 ई0

जनपद हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के निर्माण कार्यो को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि

सं0 344/एल0बी0ए0-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961,जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम-1994 द्वारा संशोधित है की धारा-239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हाथरस द्वारा जनपद-हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के निर्माण कार्यो को नियंत्रित एवं विनियमित करने के सम्बन्ध में प्रचलित उपविधि में संशोधन सम्बन्धी उपविधि बनायी गयी है। मेरे द्वारा उपविधि की पुष्टि कर दी गई है एवं उक्त अधिनियम की धारा-242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उपविधि भाग—01

1—अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961(यथासंशोधित) से है।

2—ग्राम्य क्षेत्र का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विनियमित क्षेत्र, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0, अधिसूचित क्षेत्र (Notified area) या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित तथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहित क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेर-बदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग,डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया है एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हों।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उससे सारवान विचलन करना या उसकों ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकले हुए भाग से है जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हों।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः–

(अ) अभियन्ता :–अभियंता, जिला पंचायत, हाथरस से है।

(ब) अवर अभियंता :– इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है, जिसके अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शो की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी :–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत हाथरस से हैं।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊँचा उठाने से है।

20–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत हाथरस से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17(1) में संघटित जिला पंचायत हाथरस से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत हाथरस से है।

24–बहु-मंजिली भवन (Multi-Storey) भू-तल सहित चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन बहु-मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और उसके ऊपर की अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरामदा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उददेश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल, आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते है, वह भवन की पारिभाषा में सम्मिलित नहीं होगें।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप होटल, पैट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक मॉल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हो सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थान जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण उत्पादन या प्रक्रम (Processing) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कोरोसिव गैसे पैदा होती है या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (Processing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का ताप्तर्य ऐसे चारदीवारी से बंद या खुले स्थान से है, जहां वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of India Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि भाग—02

ये उपविधियां जिला पंचायत हाथरस के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार एवं भू-खण्ड़ो के विकास आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा—

1—उक्त परिभाषित "ग्राम्य क्षेत्र" में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियों कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को इस लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(त) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्डा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त "ग्राम्य क्षेत्र" में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगाः—

(अ) ले-आउट का प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

(ब) की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

(स) बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

(य) स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम एवं पूर्ण पता।

(र) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

(ल) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल-खारिज, खतौनी आलेख (तीन माह से अधिक की न हो), पंजीकृत वसीयत, पंजीकृत दान विलेख (Gift Deed)।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित हस्ताक्षर युक्त।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन स्ट्रक्चर विवरण, रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहु मंजिली भवन (Multi-Storey) भू-तल सहित चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी।

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढी व निकास, अग्निसुरक्षा लिफ्ट, अग्नि-अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)। निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की आने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण परिवर्तन विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति नहीं की जायेगी यदि।

(अ) प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धर्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1–नक्शा/प्लान में निम्न अनुदेशों का पालन किया जायेगा–

(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना**(Consider)** गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग**(Stilt Parking)** अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल**(Lintel)** अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.50 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकमत ऊँचाई 1.50 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent)प्लाट से 2.00 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/ मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code)2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.00 मीटर से 16.00 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.00 मी0 ऊँचाई तक 6.00 मी0 इसके पश्चात प्रत्येक 3.00 मी0 अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.00 मीटर बढ़ाई जाएगी भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End)पर ब्लाक की अधिकतम दूरी 9.00 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिला भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

(ज) भूमि की प्लटिंग में प्लाटों के बीच कम से कम 9.00 मी0 चौड़ा रोड व मेन रोड की चौड़ाई 12.00 मी0 होगी तथा कोई भी परियोजना पहुंच मार्ग एवं सम्पर्क मार्ग से जुड़ी होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-अच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है–

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा भवन, सुरक्षा कैबिन, गार्ड रूम , टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाऊस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.40मी0 एवं 9.50 वर्ग मी0 से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मी0 से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मी0 से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मी0 आकर 1.80 मी0 एवं 5.00 वर्ग मी0 से कम न होनी चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet)का आकार 1.20 मी0 एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होनी चाहिए।

(च)खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढी की चौड़ाई 1.00 मी0 एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–(क) पार्क, टोट-लॉट्स (Tot-Lots) लैड स्केप (Land scape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मी0 तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट बैक के योग का डेढ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी। **बहुमंजिली इमारत हेतु भू-कम्प रोधी सत्यापन एम0टेक0 स्ट्रक्चरल अभियन्ता द्वारा कराकर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।**

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय, अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेंट मे इलक्ट्रिक ट्रांस्फार्मर की स्थापना ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेंगा।

(ड) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 मीटर के भू-आच्छादन (Ground coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) के मानक निम्नवत होंगे–

क्रमांक		भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1		2	3	4	5	6
1.		आवासीय भवन				
	क	भूखंड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	ख	भूखंड 501-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2.		ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3.		औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4.		व्यावसायिक भवन				
	क	सुविधा शौपिंग केन्द्र, शौपिंग मॉल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	ख	बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	ग	वेयर हाऊस गोदाम	60	1.50	18	15
	घ	दुकानों व मार्केट	60	1.50	15	10
5.		संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	क	सभी उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	ख	हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेटर आदि	50	1.50	24	15
	ग	हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6.		धर्मार्थ अथवा जनहितार्य भवन	50	1.20	15	10
	क	सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	ख	धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह हॉस्टल	40	2.50	15	10
	ग	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम शीत गृह इत्यादि	40	0.50	10	6

1	2	3	4	5	6
7.	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2	30	15
8.	क्रीडा एवं मनोरंजन काम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9.	नर्सरी	10	0.50	6	6
10.	बस स्टेशन, बसडिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11.	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12.	डेयरी फार्म	10	0.15	10	6
13.	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14.	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट बेक (Set Back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front) (मीटर मे)	साईड (Side) (मीटर मे)	पीछे (Back) (मीटर मे)	लैंड स्केपिंग (Landscapping)	खुला स्थान प्रतिशत तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	150 तक	3.00	0.00	1.50	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2.	151-300	3.00	0.00	3.00	तदैव	25
3.	301-500	4.50	3.00	3.00	तदैव	25
4.	501-2000	6.00	3.00	3.00	तदैव	25
5.	2001-6000	7.50	4.50	6.00	तदैव	25
6.	6001-12000	9.00	6.00	6.00	तदैव	25
7.	12001-20000	12.00	7.50	7.50	तदैव	50
8.	20001-40000	15.00	9.00	9.00	तदैव	50
9.	40001-से अधिक	16.00	12.00	12.00	तदैव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन / भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1.	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECUप्रति 80 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
2.	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECUप्रति 100 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
3.	औद्योगिक भवन	एक ECUप्रति 100 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
4.	व्यावसायिक भवन	एक ECUप्रति 30 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
5.	समाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECUप्रति 50 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
6.	लॉज, अतिथिगृह, होस्टल	एक ECUप्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7.	होस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECUप्रति 65 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
8.	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECUप्रति 15 सीट्स
9.	आवासीय भवन	एक ECUप्रति 150 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

1—तीन मंजिल अथवा 15.00 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400.00 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होगें। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6.00 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4.00 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (carriage way) होगा।

2—अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर ट्रेड न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0 राईजर अधिकतम 10 से0मी0, एक फ्लाईट मे अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3—अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15.00 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4—घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10.00 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नही किया जाएगा।

5—उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6—उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनिम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धिति, फर्स्ट एड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह,फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी (मीटर)	क्षैतिज दूरी (मीटर)
1.	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.40	1.20
2.	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज	3.70	1.80
3.	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.70+(0.305मी0) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305मी0) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाईल टावर्स की स्थापना

1—अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

2—मोबाईल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

3—सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण किये जाने से पूर्व काउन्सिलिगं ऑफ अर्कीटेक्चर में पंजीकृत एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है। यदि ऐसा हो तो भी टावर सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी0 से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी मानको के आधार पर भवन की सुदृढता के सम्बन्ध में अधिकृत स्ट्रक्चरल अभियन्ता के स्थान पर आई0आई0टी0 तथा इसके समकक्ष संस्थान, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

4–टावर हेतु अनुज्ञा, भारत संचार के दूर संचार विभाग द्वारा लाईसेंस प्राप्त सेल्युलर मोबाईल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को ही प्रदान की जायेगी।

5–जनरेटर केवल साइलैन्ट प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएगे।

6–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3.00 मीटर ऊपर होना चाहिए।

7–जहॉ अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8–सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार कि क्षति पहुॅचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

9–इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स रेडियों विकिरण वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10–अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए प्रथम बार शुल्क के रूप में रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार) जिला पंचायत में जमा कराने होगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यपर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार लिए गये शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा कराने होगें, उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य विकास शुल्क नही लिया जायेगा।

11–शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(1) आवासी**य भवन एवं शैक्षिण भवन**–सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 25.00 (पच्चीस) प्रति वर्ग मीटर होगी।

(2) **व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन**–सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50.00 (पचास) प्रति वर्ग मीटर होगी।

(3) (i) **भूमि की प्लाटिंग**–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बॉटना।

(ii) **भूमि विकास**–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैकट हाल/बारात घर आदि।

(iii) **भूमि का उपभोग**–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री कंटेनर, ईधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(IV) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त(i) से (IV) तक रु0 10.00 (दस) प्रति वर्ग मीटर होगी।

(4) पुराने भवनों को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

(5) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(6) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की ,अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(7) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(8) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा भू-खण्ड विकसित करने पर या जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान तलपट मानचित्र पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग मे जमा होने के उपरान्त पूर्व मे निर्मित भवन के नक्शों कर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौता की कार्यवाही उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 248 मे दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होंगी।

(9) **पूर्णता प्रमाण-पत्र** (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20.00 (बीस) रु0 प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

(10) बाउन्ड्रीवाल/चाहरदीवारी स्वीकृति की दर रु0 10.00 (दस) रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

नोट– (शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ढ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हाथरस के कार्यालय में जमा किये जायेगें। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हाथरस को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत हाथरस को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत हाथरस को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत हाथरस को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत हाथरस में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शें के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत हाथरस के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility) सुगमता, साध्यता, तकनीकी जांच व जिला पंचायत हाथरस भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित(Sound)पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण(Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जाम करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय से जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शें की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाहीं पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत हाथरस द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत हाथरस के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नही करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति(Deemed Sanction) मानी जायेगी।

वाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत हाथरस को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से 1.50 किलो मीटर के दायरे में उपविधियों अनुसार निर्माण हेतु मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2–प्रस्तावित भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग(Stilt parking)वाहन पार्किंग बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व

सुविधाओं के रख-रखव व सेवा तल, भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए, तो इनका क्षेत्रफल फ्लोर एरिया रेसियों (FAR) में शामिल नहीं होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य

शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत हाथरस यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-अच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपविधियों में दी गई सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत हाथरस द्वारा इस प्रकार के समकक्ष भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तो के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होगें।

8–इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्ते

(क) अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत हाथरस द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

(ख) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ग) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अतंर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जाएगा।

(घ) कोई भी व्यक्ति कम्पनी फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार द्वारा यदि प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों में जिनमें लाईसेस/अनापति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, उनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(ङ) शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन आवेदनकर्ता/मालिक को करना होगा।

(च) निर्माण के दौरान अथवा स्वीकृति के समय अपर मुख्य अधिकारी को यदि किसी प्रमाण-पत्र (तकनीकी/प्रशासनिक) की आवश्यकता पड़ने पर आवेदनकर्ता को प्रस्तुत करना होगा।

निरसन

भवन निर्माण उपविधियों के जिला पंचायत हाथरस के क्षेत्र में प्रभावी होने के दिनांक से पूर्व प्रचलित उपविधियॉ निरस्त हो जायेगी।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत हाथरस अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हाथरस यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा। जो कुल रु0 1,000.00 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा। अथवा अर्थ–दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा,जो कि तीन माह तक हो सकेंगा।

जिला पंचायत हाथरस के क्षेत्रान्तर्गत मिल फैक्ट्री, कारखानों, आदि उद्योगों को नियन्त्रित एवं नियमित करने सम्बन्धी उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम 1961(यथा संशोधित) की धारा 239 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, हाथरस ने अपने जिला हाथरस के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत समस्त प्रकार के मिल, कारखानों, फैक्ट्रियों आदि को नियंन्त्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से बनायी गयी पूर्व से प्रचलित उपविधियों में संशोधन करते हुये यह उपविधि बनायी हैं। मेरे द्वारा उपविधि की पुष्टि कर दी गई है एवं उक्त अधिनियम की धारा–242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उपविधि

1–(क) यह उपविधि मिल/कारखाना/फैक्ट्री आदि की उपविधि कहलायेगी।

(ख) फैक्ट्री/कारखाना का अर्थ ऐसे परिसर व तत्संबंधी उसकी सीमाओं तक उसकी भूमि से है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन क्रिया सम्बन्धी कार्य से है जो साधारणतः शक्ति (पावर) का उपयोग किया जाता हो से है।

2–यह उपविधि जनपद हाथरस के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

3–यह उपविधि वर्तमान एवं आगामी समय में स्थापित एवं संचालित होने वाले सभी कारखानों फैक्ट्रीयों आदि पर प्रभावी होगी।

4–(क) शक्ति का अर्थ कारखाना अधिनियम 1948 (यथा संशोधित) में दी गयी परिभाषा के अनुसार।

(ख) चीनी मिल का अर्थ उत्तर प्रदेश चीनी नियन्त्रण अधिनियम 1933 में परिभाषा के अनुसार।

(ग) औषधि भेषज का अर्थ ड्रग्स अधिनियम के अधीन घोषित किया गया है।

5–कोई भी व्यक्ति कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य व्यवसायिक संस्था आदि जिला हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रों में इस उपविधि में उल्लिखित किसी भी व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन तब तक नही करेगा जब तक उसके द्वारा जिला पंचायत, हाथरस से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त न कर लिया गया हो।

6–इस उपविधि के प्रयोजन हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, हाथरस अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला पंचायत का अन्य अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होगा।

7–लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इस उपविधि के अन्तर्गत किसी भी धारा व उपधारा का उल्घंन करने की दशा में लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त कर दें। इस आदेश के विरूद्ध 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत, हाथरस को अपील की जा सकती है। अध्यक्ष जिला पंचायत हाथरस का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8–(क) लाइसेंस अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी। लाइसेंस प्राप्त करने हेतु संचालक को जिला पंचायत हाथरस के लाइसेंस अधिकारी को आवेदन करना होगा।

(ख) नवीन लाइसेंस लेने से पूर्व संस्था/प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा आवेदन के साथ पर्यावरण विभाग द्वारा सहमति, भूमि का साक्ष्य (बैनामा, इकरारनामा) देना होगा।

9–लाइसेंस नवीनीकरण की दशा में अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस की अवधि तिथि पूर्ण होने से 15 दिन पूर्व आगामी वर्ष के लिए आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व लाइसेंस नवीनीकरण न कराने की दशा में शुल्क- रु0 5,000-00/– लाइसेंस शुल्क वार्षिक तक बिलम्ब शुल्क रु0 100-00/– प्रतिमाह एवं रु0 5,000-00/– से अधिक लाइसेंस शुल्क वार्षिक पर विलम्ब शुल्क रु0 1,000-00/– प्रतिमाह की दर से वसूला जायेगा।

10–अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त न करने की दशा में (व्यवसाइयों) व्यक्ति,फर्म अथवा संस्था व व्यक्तियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत की धारा-240 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी लाइसेंस अधिकारी के आदेश/ निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा-133 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही हेतु रिपोर्ट कर दी जायेगी।

11–कारखाना/फैक्ट्रियों व अन्य प्रतिष्ठानों आदि इस उपविधि में उल्लिखित संस्थाओं के स्थल का निरीक्षण जिला पंचायत, हाथरस के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय कर निरीक्षक तथा श्रम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी को निरीक्षण करने का अधिकारी होगा। संस्था के स्वामी/मालिक उक्त अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए पूरी-पूरी सुविधा, सहयोग देंगा।

12–(क) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति तथा संक्रामक या घृणास्पद रोगी को कारखाने /फैक्ट्री में कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(ख) जिन कारखानों फैक्ट्री आदि में चिमनी लगानी आवश्यक होती है तो उसकी ऊँचाई समीप के सबसे ऊँची बिल्डिंग से 15 फिट से कम नही होनी चाहिए साथ ही पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

(ग) कारखाने/फैक्ट्री आदि इकाई में शोर गुल रोकने के लिए ध्वनी रोधक यन्त्र लगाने होगें। इकाई से निकलने वाले प्रदूषित पानी अथवा गन्दे क्षोभ कर हानिकारक पदार्थ के किसी जल सम्भरण के या ऐसे भाग में जिसका पानी पीने या स्नान करने प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता हो नही डाला जा सकेंगा। पानी निकासी हेतु पक्की नालियॉ बनानी होगी।

13–लाइसेंसधारी संस्था के स्वामी/मालिक को उसके निवेदन करने पर जिला पंचायत, हाथरस के अभियन्ता/अवर अभियन्ता की तकनीकी सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

14–कारखानों/फैक्ट्री आदि इकाईयों को जिला पंचायत सें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क देय होगा। लाइसेंस शुल्क निम्न के अनुसार होगी।

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	रुपये में
1	2	3
		रु0
1.	चीनी मिल	50,000.00
2.	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3.	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4.	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
5.	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6.	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7.	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8.	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9.	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10.	एक्सपेलर	500.00
11.	आरा मशीन	2,000.00
12.	खराद मशीन	1,000.00
13.	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14.	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00

1	2	3
		रु0
15.	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16.	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17.	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18.	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19.	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20.	पेपरकोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21.	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	8,000.00
28	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2″ मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2″ मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
32	फल,सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	10,000.00
32	फल,सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक)	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लाण्ट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुए बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बडा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईट अदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल,एल्यूमिनियम,स्टील, शीशा, ताबां व टीन आदि से वस्तुए बनाना	4,000.00
40	वनस्पति / देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00

1	2	3
		रु0
41	शराब रिपट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	6,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
46	प्लास्टिक का पाइप,टैक बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बडा)	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड सीमेन्ट क्रंकीट आदि के ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉमिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फेक्ट्री	50,000.00
1. 60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
61	सॉकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईवुड या माईका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग का काराखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबलरोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00

1	2	3
		रु0
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	बेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राडरा बनाने का कारखाना	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00
74	स्टील अलमारी बक्से मेज आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का करखाना	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00
80	डिटर्जेट बनाने का कारखाना	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00
83	रबड के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिग	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	10,000.00
87	ग्रीस, मोविल ऑयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
94	बेट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
95	पंखा या कुलर बनाने का कारखाना	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00

1	2	3
		रु0
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
98	ऑटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
99	निकिल पॉलिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्टस बनाने का कारखाना	5,000.00
102	हड्डी मिल	25,000.00
103	राईश मिल	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	4,000.00
105	डीजल मिल	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
108	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हॉल	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हॉल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडीमेंड गारमेन्टस का कारखाना	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
116	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
118	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
119	जूट,सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
121	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	25,000.00
123	जैविक कारखाना	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00

उपरोक्त के अतिरिक्त अद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अर्न्गत निर्धारित की जा सकती हैः–

क्र0सं0	मद / व्यवसाय का नाम / कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क (रुपये में)
1	सूक्ष्म / कुटीर उद्योग (Micro) (लागत रु0 25 लाख तक)	1,000.00 से 5,000.00
2	लघु उद्योग (Small) (लागत रु0 25 लाख से रु0 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00
3	मध्यम उद्योग (Medium) (लागत रु0 5 करोड़ से रु0 10 करोड तक)	21,000.00 से 50,000.00
4	भारी उद्योग (Heavy) (लागत रु0 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विवरण में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेुत जनपद के जिला उद्योग विभाग से अपर मुख्य अधिकारी / कार्य अधिकारी / कर अधिकारी द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है।

15. इस दर्शित उद्योग प्रतिष्ठानों की लाइसेंस शुल्क रु0 5,000 / –लाइसेंस शुल्क वार्षिक तक विलम्ब शुल्क रु0 100 / –प्रतिमाह एवं रु0 5,000 / –से अधिक लाइसेंस शुल्क वार्षिक पर विलम्ब शुल्क रु0 1,000 / –प्रतिमाह की दर से वसूला जायेगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत हाथरस यह निर्देश देती है जो व्यक्ति फर्म संस्था प्रतिष्ठान इन उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा उसें रु0 1,000 / –रुपये तक का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। और पुनः उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् एसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है। अंकन रु0 50 रुपया प्रतिदिन तक हो सकेगा। अर्थदण्ड भुगतान न करने की स्थिति में अपराधी को तीन माह तक का कारावास दण्ड होगा।

चैत्रा वी0,
आयुक्त,
अलीगढ मण्डल, अलीगढ।

पी0एस0यू0पी0–34 हिन्दी गजट–भाग 3–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।